



दिनांक: 02.02.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस द्वारा अभ्यस्त अपराधियों पर सख्त निगरानी हेतु कार्यवाही — धोखाधड़ी एवं मादक पदार्थ तस्करी के कुल 04 अपराधियों की खोली गई हिस्ट्रीशीट्स

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं अभ्यस्त अपराधियों पर सतत निगरानी रखने के उद्देश्य से “हिस्ट्रीशीट खोलने का विशेष अभियान” चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा संबंधित क्षेत्राधिकारीगण के निकट पर्यवेक्षण में विभिन्न थानों द्वारा अभ्यस्त एवं शातिर अपराधियों की गतिविधियों का विश्लेषण कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कुल 04 अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है।

इन अपराधियों पर अब पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जा सके।—

हिस्ट्रीशीट खोले गए अपराधियों का विवरण इस प्रकार है —

- थाना गंगोह द्वारा शातिर/अभ्यस्त नशा तस्कर अभियुक्त के विरुद्ध:
 1. नौशाद पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम बल्ला माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
- थाना गंगोह द्वारा शातिर/अभ्यस्त धोखाधड़ी के अभियुक्त के विरुद्ध:
 2. बबलू शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी ग्राम बीनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
- थाना नकुड़ द्वारा शातिर/अभ्यस्त नशा तस्कर अभियुक्त के विरुद्ध:
 3. शमशाद पुत्र मन्जूरा निवासी ग्राम नवाजपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
- थाना सदर बाजार द्वारा शातिर/अभ्यस्त धोखाधड़ी के अभियुक्त के विरुद्ध:
 4. आलोक अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी म0न0 बी-61 दिल्ली रोड़ गुरुद्वारा के पीछे बसन्त विहार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

पुलिस का संकल्प:

सहारनपुर पुलिस का उद्देश्य जनपद को अपराधमुक्त बनाना एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को और सुदृढ़ करना है। अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने की प्रक्रिया सतत जारी रहेगी, जिससे उनके आपराधिक नेटवर्क की निगरानी व नियंत्रण प्रभावी रूप से किया जा सके।

“अपराध पर रोकथाम, कानून का सम्मान — सहारनपुर पुलिस आपके साथ ”



दिनांक- 02.02.2026

-प्रेस नोट-

थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गयी 20,000/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरण:-

दिनांक 21.01.2026 को आवेदक रामसिंह पुत्र अन्तुराम निवासी ओलरा थाना ननौता, सहारनपुर द्वारा थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके अनुसार अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक के खाते से ऑनलाइन धोखाधडी कर रु0 20,000/- निकाल लिये गये थे।

पुलिस कार्यवाही:-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक रामसिंह पुत्र अन्तुराम उपरोक्त की साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी 20,000/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया गया।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
2. है०का० 712 निशान्त तोमर, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
3. कां० 710 राकेश कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
4. कां० 99 अरुण कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
5. म०है०कां० 189 रुचि शर्मा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।



दिनांक 02.02.2026

-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 115 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के अनुपालन में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 अभियुक्त **राजू सैनी पुत्र योगेश सैनी निवासी पीर वाली गली सरदार कॉलोनी थाना मंडी जनपद सहारनपुर** को बागीची के लोहे वाले गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **115 ग्राम अवैध चरस** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 44/26 धारा 8/20 एनडीपीसीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त राजू सैनी उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में **FORWARD AND BACKWARD** लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजू सैनी पुत्र योगेश सैनी निवासी पीर वाली गली सरदार कॉलोनी थाना मंडी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 115 ग्राम अवैध चरस

अभियुक्त राजू सैनी का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 08/24 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 0068/2022 धारा 8/20 एनडीपीसीएसएक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 69/2022 धारा 420/465/414 भादवि थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

4. मु0अ0सं0 70/22 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर ।
5. मु0अ0सं0 44/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री निर्मल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।
2. है0का0 345 फारूख अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।
3. का0 2278 विष्णु कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।